हिमाचल प्रदेश गोवध प्रतिषेध अधिनियम, 1979

धाराओं का क्रम

धाराएः

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

2. परिभाषा।

3. वध प्रतिषेध।

4. अपवाद।

5. गोमांस विक्रय प्रतिषेध।

6. संस्थानों की स्थापना।

7. फीसों का उदग्रहण।

8. शास्ति।

9. अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना।

10. नियम बनाने की शक्ति।

11. निरसन और व्यावृत्तियां।

हिमाचल प्रदेश गोवध प्रतिषेध अधिनियम, 1979

(1979 का 11)[1]

(3 मार्च, 1990 को यथा विद्यमान

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 31 मार्च, 1990 को अधिप्रमाणित किया गया और राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में तारीख 12 मई, 1990 को पृष्ठ संख्या 1077–1081 पर प्रकाशित किया गया)

हिमाचल प्रदेश में गोवध और इसकी सन्तति के वध का प्रतिषेध करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के तीसबें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.**–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश गोवध प्रतिषेध अधिनियम, 1979 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषा.**–इस अधिनियम में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ में विरूद्ध न हो,–

(क) "गोमांस" से किसी भी रूप में गोमांस अभिप्रेत है, किन्तु मोहरबंद डिब्बों में और हिमाचल प्रदेश में आयात किया गया गोमांस इनके अन्तर्गत नहीं है;

(ख) "गोमांस उत्पाद" के अन्तर्गत गोमांस से बनी वस्तुएं भी है;

(ग) "गांय" के अन्तर्गत सांड, वरधा, बैल बछड़ी या बछड़ा भी है;

(घ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ड.) "वध" से किसी भी ढंग से चाहे जो भी हो, वध करना अभिप्रेत है और अपांग करना और ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाना जिससे साधारणतया मृत्यु हो जाए, इसके अन्तर्गत है;

(च) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है; और

(छ) "अलाभकर गाय" के अन्तर्गत भटकती, असुरक्षित, दुर्बल, अपंग, बीमार या बांझ गाए है।

3. **वध प्रतिषेध.**–तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या प्रथा या रूढ़ि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में किसी भी स्थान पर किसी भी गाय का वध नहीं करेगा या नहीं करवाएगा अथवा न ही वध के लिए प्रस्तुत करेगा या न ही करवाएगाः

परन्तु दुर्घटना, से या आत्मरक्षा में गाय को मारना इस अधिनियम के अधीन वध नहीं माना जाएगा।

————————————

1. **पाद टिप्पणीः**– चयोंकि अधिनियम राजभाषा में 31 मार्च, 1990 को राज्यपाल महोदय द्वारा अधिप्रमाणित किया गया था इसलिए उद्देश्यों और कारणों का कथन इसमें उल्लिखित करना बांछनीय नहीं है। जिसे राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में 12 मई, 1990 को पृष्ठ संख्या 1077–1081 पर प्रकाशित किया गया।

4. **अपवाद.**—(1) धारा (3) की कोई भी बात ऐसी किसी गाय के वध पर लागू नहीं होगी—

(क) जिसकी पीड़ा ऐसी है जिसके कारण क्षेत्र के पशु चिकित्सा अधिकारी या पशु पालन विभाग के ऐसे किसी अधिकारी के प्रमाण पत्र के अनुसार जो विहित किया जाए, मारना वांछनीय है; या

(ख) जो सरकार द्वारा यथा अधिसूचित किसी सांसर्गिक या संक्रामक रोग से पीड़ित हो; या

(ग) जो पशुपालन विभाग के प्रमाणित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य अनुसंधान के हित में प्रयोग के अधीन है।

(2) जहां उप–धारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट कारणों से गाय का वध आशयित है, वहां ऐसा करने वाले व्यक्ति के लिए क्षेत्र के पशु चिकित्सा अधिकारी से या पशुपालन विभाग के ऐसे अन्य अधिकारी से जो विहित किया जाए, पूर्व लिखित अनुज्ञा अभिप्राप्त करना आवश्यक है।

5. **गोमांस विक्रय प्रतिषेध.**—इसमें अपवादित के सिवाय और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति गोमांस या किसी भी रूप में गोमांस उत्पाद का, सिवाय ऐसे औषधीय प्रयोजनों के लिए जो विहित किए जाएं विक्रय नहीं करेगा या करवाएगा अथवा विक्रय के लिए प्रस्तुत नहीं करवाएगा।

6. **सस्थानों की स्थापना.**—सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जब सरकार द्वारा ऐसा निदेश दिया जाएगा, अलाभकर गायों का ग्रहण, भरण पोषण और देख भाल करने के लिए, संस्थानों की स्थापना की जाएगी।

7. **फीस का उद्ग्रहण.**—राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकारण, यदि इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो, ऐसी फीस का जैसी विहित की जाए, संस्थान में अलाभकर गायों की देखभाल और भरण पोषण के लिए उद्गृहीत कर सकेगा।

8. **शास्ति.**—(1) जो कोई भी व्यक्ति, धारा 3 या 5 के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करेगा वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय अपराध का दोषी होगा।

(2) जो कोई भी व्यक्ति, धारा 4 की उप–धारा (2) में कथित रीति में या समय के भीतर सूचना दाखिल करने में असफल रहता है, वह साधारण कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय अपराध का दोषी होगा।

(3) उप–धारा (1) या उप–धारा (2) के अधीन अपराध के विचारण में यह साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा कि गाय जिनका वध किया गया है, धारा 4 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट वर्ग की थी।

9. **अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना.**—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 8 की उप–धारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा।

10. **नियम बनाने की शक्ति.**—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने को प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा–

(क) वे शर्तें और परिस्थितियां, जिनके अन्तर्गत धारा 4 की उप–धारा (1) के अधीन गोवध किया जा सकेगा;

(ख) वह रीति जिसमें धारा 4 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन बीमारियां अधिसूचित की जाएंगी;

(ग) वह रीति जिसमें धारा 4 की उप–धारा (2) के अधीन अनुज्ञा अभिप्राप्त की जाएगी;

(घ) धारा 4 की उप–धारा (1) के उप–खण्ड (क) में उल्लिखित प्रमाण–पत्र का प्ररुप और विषय वस्तु और इसे प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारी;

(ड.) वह रीति और शर्तें जिनके अधीन धारा 5 के अधीन गोमांस या गोमांस उत्पाद का विक्रय किया जाएगा;

(च) धारा 6 में निर्दिष्ट स्थापनों के स्थापन, अनुरक्षण, प्रबन्ध पर्यवेक्षण और नियन्त्रण से सम्बन्धित मामले;

(छ) इस अधिनियम के अधीन अधिकारिता रखने वाले किसी अधिकारी या प्राधिकारी के कर्त्तव्य, ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रियाः और

(ज) वे मामले जो विहित किए जाएंगे या विहित किए जा सकेंगे।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्रों के अवसान से पूर्व विधान सभा सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

11. **निरसन और व्यावृत्तियां.**—(1) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथाप्रवृत्त "दि पंजाब प्रोईबिशन आफ काउ स्लाटर ऐक्ट, 1955 (1956 का 36) का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी निरसित अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई कोई बात, कार्रवाई, बनाए गए नियम या जारी की गई अधिसूचना, इस अधिनियम के अधीन या इस द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई, बनाए गये या जारी की गई समझी जाएगी, मानो कि उस दिन जिसको ऐसी बात, कार्रवाई की गई थी, नियम बनाए गए थे, या अधिसूचना जारी की गई थी, यह अधिनियम प्रवृत्त था।